

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 1972/श्रावण 26, 1894
No. 182] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 1972/SRAVANA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th August, 1972.

SUBJECT.—*Import of tractors by agriculturists as gift.*

No. 118-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 24-ITC(PN)/72 dated the 11th February, 1972 according to which the last date for submission of applications for issue of Customs Clearance Permits for import of tractors as gift to agriculturists was 30th April, 1972.

2. The position has been reviewed and it has been decided to extend the last date for submission of applications for Customs Clearance Permits from the 30th April, 1972 to the 31st March, 1973. Applications received after the 31st March, 1973 will not be entertained.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1972

विषय .—कृषकों द्वारा उपहार के रूप में ट्रैक्टरों का आयात ।

संख्या 119-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72 .—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 24-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 11 फरवरी, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार कृषकों द्वारा उपहार के रूप में ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी करने के लिए, आवेदन-पत्र देने की अन्तिम तिथि 30-4-72 थी ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा की गई है और सीमा शुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन करने की तिथि 30-4-72 को बढ़ा कर 31 मार्च, 1973 करने का निश्चय किया गया है । मार्च, 1973 के बाद प्राप्त किए गए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

एम० एम० सेन

मुख्य निर्यातक आयात-निर्यात ।